(188) 1

संख्या :– 2426 / उन्तीस / 04–2(22पे0) / 2004

प्रेषक,

बी0 पी0 पाण्डेय ,
सचिव, पेयजल,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

2– मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।

3– निदेशक,
स्वजल परियोजना,
देहरादून

पेयजल अनुभाग

देहरादून, दिनांक 31 मई, 2005

विषय : पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में सकल क्षेत्र में समरूप नीतियों (SWAp-Sector Wide approach) को अपनाते हुये शीर्ष स्तर पर आवश्यक व्यवस्थायें करने के संबंध में।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य में विश्व बैंक पोषित स्वजल परियोजना एवं राजीव गॉधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार की सेक्टर रिफार्म पायलेट प्रोजैक्ट के क्रियान्वयन हेतु एक "उत्तरांचल राज्य ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना" के प्रोजैक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी0एम0यू0) का गठन सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने के आदेश शासनादेश संख्या 36 / नौ–2 (272 पे0) / 2001 दिनांक 28 फरवरी, 2001 में दिये गये हैं। तत्क्रम में शासनादेश संख्या 3033 / नौ–2–(25पे0) / 2003 दिनांक 7 फरवरी, 2004 द्वारा "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (State Water and Sanitation Mission)" (एस0 डब्लू0एस0एम0) का गठन किया गया है तथा शासनादेश संख्या 475 / नौ–2–04–(25पे0) / 2003 दिनांक 24 फरवरी, 2004 द्वारा पूर्व गठित "उत्तरांचल राज्य ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना "(स्वजल परियोजना) की अधिशासी समिति एवं सामान्य प्रबन्ध समितियों को पूर्ववत बनाये रखने एवं शासनादेश संख्या मु0सं0 53 नौ–2–(01 पे0) / 2001 दिनांक 25 जून, 2003 में उक्त समितियों के निर्धारित कार्यों के सम्पादन की व्यवस्था की गई हैं।

2. संविधान के 73वें संशोधन के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत पेयजल विभाग से सम्बन्धित प्रशासनिक, कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकारों तथा दायित्वों को पंचायती राज संस्थाओं को शासनादेश सं0 2121 / उन्तीस / 04–2 / 2004 दिनांक 17 अगस्त 2004 के द्वारा संक्रमित (devolve) किया गया है।

पेयजल एवं स्वच्छता के कार्यों को जिला स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिनिधायन के उपरान्त यह आवश्यक है कि राज्य स्तर पर सुगमकर्ता के रूप में एक व्यवस्था स्थापित की जाये जो प्रतिनिधायन की प्रगति तथा प्रकिया को संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप कियान्वयन किये जाने का अनुश्रवण करें।

3. उपरोक्त के साथ पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में सुधार की नीतियों के दृष्टिगत सम्पूर्ण प्रदेश में पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में कार्यरत संस्थाओं – उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरांचल जल सस्थान तथा परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना द्वारा किये जा रहे कार्यो को समेकित रूप से कियान्वित करने एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक आयोजन, नीति निर्धारण, निगरानी एवं मूल्यांकन, जन–सहभागिता आधारित मांग जनित पेयजल योजनाओं के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कियान्वयन, पर्यावरणीय स्वच्छता, सीवरेज व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य की एक समेकित नीति निर्धारित करने हेतु एक सर्वोच्च संस्था के रूप में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को स्थापित करने हेतु उसमें व्यापक स्वरूप का निर्धारण होना आवश्यक हो गया हैं।

4. अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि उपरोक्त प्रस्तर– 1 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 25 जून, 2003 एवं शासनादेश दिनांक 7 फरवरी, 2004 तथा शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 2004 के कम में यथा आवश्यक संशोधन करते हुए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन का पुनर्गठन निम्नवत किया गया हैं, जिसके मार्गदर्शन में पेयजल क्षेत्र में कार्यरत परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान कार्य करेगें।

4.1. "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" के वर्तमान बढ़े हुये दायित्वों के दृष्टिगत निम्नलिखित तीन समितियों का पुनर्गठन निम्नवत किया जाता हैं।

क. शीर्ष समिति/(Apex body)

1	मा0 मुख्यमंत्री जी	अध्यक्ष
2	मा0 पेयजल मंत्री जी	उपाध्यक्ष
3 – 4	मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित दो मा0 जिला पंचायत अध्यक्षगण	सदस्य
5 – 6	मा0 अध्यक्ष द्वारा नामित राज्य के दो मा0 विधायकगण	सदस्य
7	मुख्य, सचिव, उत्तरांचल शासन	सदस्य
8	प्रमुख सचिव वित्त, उत्तरांचल शासन	सदस्य
9	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन	सदस्य

(186)

10	प्रमुख सचिव, वन एवं आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, (F.R.D.C.) उत्तरांचल शासन।	सदस्य
11	प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल शासन।	सदस्य
12	सचिव, पेयजल, उत्तरांचल शासन	सदस्य सचिव
13	सचिव, शिक्षा, उत्तरांचल शासन	सदस्य
14	सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उत्तरांचल शासन	सदस्य
15	सचिव, सिंचाई, उत्तरांचल शासन	सदस्य
16	सचिव, लघु सिंचाई, उत्तरांचल शासन	सदस्य
17	सचिव, शहरी विकास, उत्तरांचल शासन	सदस्य
18	सचिव नियोजन, उत्तरांचल शासन	सदस्य
19	महानिदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, उत्तरांचल	सदस्य
20	प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,	सदस्य
21	मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।	सदस्य
22	निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क उत्तरांचल	सदस्य
23	राजीव गॉधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
24	सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
25–26	कार्यरत सहयोगी संस्थाओं में से नामित दो प्रतिनिधि	सदस्य
27	निदेशक प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, स्वजल परियोजना, उत्तरांचल	सदस्य
28	निदेशक, शिक्षा, उत्तरांचल	सदस्य

शीर्ष समिति/ (Apex body) के द्वारा स्वजलधारा, संपूर्ण स्वच्छता अभियान तथा बाह्य सहायतित के कार्यक्रमों के प्रदेश में कियान्वयन हेतु नीति निर्धारण पर विचार किया जायेगा। यह समिति राज्य सरकार के विभिन्न विभागो के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देश निर्गत करेगी। पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में सुधार की नीतियो के अनुसार नियोजन , निरूपण, कियान्वयन तथा रखरखाव का कार्य ग्राम पंचायतों एवं उपभोक्ता जल एवं स्वच्छता समितियों से करवाये जाने का अनुश्रवण भी सर्वोच्च समिति द्वारा किया जायेगा। समिति की एक वर्ष में कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जायेंगी ।

ख. अधिशासी समिति (Executive Committee)

1.	मुख्य, सचिव, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
2.	सचिव, पेयजल, उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, वन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
5	सचिव, शिक्षा, उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
6	सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उत्तरांचल शासन उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
7	सचिव वित्त, उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
8	सचिव नियोजन, उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
9	सचिव वन, उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
10	सचिव, सिंचाई, उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
11	सचिव, लघु सिंचाई, उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
12	आयुक्त/निदेशक, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो उपनिदेशक स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
13–14	राज्य से नामित परियोजना कार्य क्षेत्र के दो मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
15	महानिदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, उत्तरांचल अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर निदेशक स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
16	निदेशक प्रोजैक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, स्वजल परियोजना, उत्तरांचल	सदस्य/सचिव
17	प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।	सदस्य
18	मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।	सदस्य

19 निदेशक, शिक्षा, उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त निदेशक स्तर से नीचे का न हो — सदस्य

इस समिति के द्वारा सर्वोच्च समिति द्वारा निर्धारित नीति के क्रियान्वयन का कार्य करने के साथ निम्नलिखित कार्य संपादित किये जायेगें:–

(i) पेयजल क्षेत्र के सम्बन्ध में शासन द्वारा घोषित नीति के अनुपालन एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण करना।

(ii) राज्य मिशन द्वारा पारित नीतिगत निर्णयों एवं निर्देशो के अनुपालन की समीक्षा करना।

(iii) भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला स्तर तथा अन्य बाह्य सहायतित योजनाओं से एकल ग्राम पेयजल योजनाओं हेतु चिन्हित **(Earmarked)** धनराशि से ग्राम पंचायत एवं उपभोक्ता जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से संपादित करवाये जाने वाले कार्यो की प्रगति का अनुश्रवण करना,

(iv) जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता विकास की समीक्षा तथा अनुश्रवण करना,

(v) स्वजलधारा कार्यक्रम, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा बाह्य सहायतित कार्यक्रमों से सम्बन्धित नीतिगत सुझाव , सामान्य प्रबन्ध समिति को प्रस्तुत करना एवं कार्यकारी समिति के रूप में कार्य करना।

अधिशासी समिति की एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित की जायेंगी।

ग. वित्त समिति (**Finance Committee**)

1.	सचिव, पेयजल, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
2.	सचिव वित्त, उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
3.	सचिव पंचायत राज, उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का न हो	सदस्य
4..	निदेशक, परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना	सदस्य
5.	अपर निदेशक, परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना	सदस्य
6.	वित्त नियंत्रक/वित्त सलाहकार परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना	सदस्य–सचिव

इस समिति के द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जायेगें:–

(i) परियोजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित वित्तीय मामलों में निर्णय लेना,

(ii) अधिशासी समिति का वित्तीय मामलों में सहायता करना,

(iii) परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना के वार्षिक बजट का अनुमोदन करना,

(iv) बजट के अनुसार परियोजना प्रबन्धन इकाई के व्यय का अनुश्रवण करना तथा प्रत्येक तिमाही में किये गये व्यय की समीक्षा करना,

(v) परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा परियोजना सम्बन्धी कार्यों के तहत ही प्राप्त शुल्क आदि का निर्धारण करना।

वित्त समिति की प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित की जायेंगी।

परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल परियोजना पूर्ववत सर्वोच्च समिति व अधिशासी समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगी। इन कार्यों को संपादित करने के लिए पी० एम० यू० में एक अलग से प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी। उत्तरांचल राज्य ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना के पी० एम० यू० सोसाईटी के मेमोरेन्डम आफ एसोसियशन में भी उपरोक्तानुसार समितियों के पुनर्गठन व दायित्वो के अनुरूप संशोधन पंजीकृत कराये जाना आवश्यक होगा। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(बी०पी० पाण्डेय)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या 2426/उन्तीस/04-2(22पे०)/2004 31 मई, 2005

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 निजी सचिव,मा० मुख्यमंत्री/मा० पेयजल मंत्री, उत्तरांचल शासन, को मा० मुख्यमंत्री जी/मा० पेयजल मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2 महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3 स्टाफ आफिसर , मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4 स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
6 आयुक्त गढवाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, उत्तरांचल।
7 समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8 समस्त, मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल।
9 गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
10 निदेशक, एन० आई० सी०, देहरादून।
11 समितियों के अध्यक्ष/समस्त सदस्य।
12 सहायक निबन्धक, पंजीयन, सह समितियां, उत्तरांचल शासन।
13 समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, उत्तरांचल।
14 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
15 सदस्य सचिव, प्रदूषण, नियन्त्रण बोर्ड, उत्तरांचल।
16 समस्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव